संख्या- 898/2023/2857/35-4-2023/35-4099/108/2021

प्रेषक,

अरुणेश कुमार द्विवेदी,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
बरेली ।

नियोजन अनुभाग- 4 लखनऊ; दिनांक: 30 नवम्बर, 2023

विषय:- जनपद- बरेली में त्वरित आर्थिक विकास योजना के अंतर्गत स्वीकृत राजकीय पॉलीटेक्निक, उमेदपुर भुता, फरीदपुर, बरेली के भवन निर्माण कार्य हेतु वित्तीय वर्ष 2023-24 में अवशेष धनराशि की स्वीकृति |

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मा० मुख्यमंत्री जी की घोषणा के क्रम में त्वरित आर्थिक विकास योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2019-20 में जनपद बरेली में विधान सभा क्षेत्र-फरीदपुर में राजकीय पॉलीटेक्निक, उमेदपुर भुता, फरीदपुर, बरेली के भवन निर्माण कार्य हेतु शासनादेश संख्या- 14/2020/253/35-4-2020, दिनांक 17.02.2020 द्वारा धनराशि रू० 1797.52 लाख (+GST नियमानुसार देय) पर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए अनुमोदित लागत रू० 1797.52 लाख के सापेक्ष प्रथम किस्त के रूप में धनराशि रू0 200.00 लाख, शासनादेश संख्या-33/2021/589/35-4-2021, दिनांक 04.03.2021 द्वारा द्वितीय किस्त के रूप में धनराशि रू0 269.63 लाख, शासनादेश संख्या- 119/2021/1219(1)/35-4-2021, दिनांक 03.08.2021 द्वारा तृतीय किस्त के रूप में में धनराशि रू० 878.51 लाख एवं शासनादेश संख्या- 203/2022/686/35-4-2022/001/35-4099/108/2021, दिनांक 04.07.2022 द्वारा चतुर्थ किस्त के रूप में धनराशि रू0 359.50 लाख; इस प्रकार अब तक कुल धनराशि रू0 1707.64 लाख अवमुक्त की गयी है। जिलाधिकारी, बरेली द्वारा पत्रांक-1188/मा०मु०मं०घो०/ त्व०आ०वि०यो०/2019-20 दिनांक 20.10.2023 द्वारा उक्त अवमुक्त धनराशि का कार्यदायी संस्था द्वारा शत-प्रतिशत उपयोग कर लिये जाने के उपरान्त गुणवत्ता प्रमाण पत्र, उपयोगिता प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप 42-। एवं कार्य की वित्तीय/ भौतिक प्रगति की सूचना उपलब्ध कराते हुए अवशेष धनराशि की मांग की गयी है।

2- जिलाधिकारी, बरेली के पत्र संख्या-730/त्व0आ0वि0यो0/2019-20 दिनांक 27 जून, 2023 द्वारा परियोजना हेतु जी०एस०टी० एवं विद्युत कनेक्शन के अन्तर की धनराशि हेतु की गयी संस्तुति के क्रम में शासनादेश संख्या- 881/2023/2832/35-4-2023/35-4099/108/2021, दिनांक 14.11.2023 द्वारा रु० 1977.86 लाख (जी०एस०टी० सहित) (रुपये उन्नीस करोड सतहत्तर लाख छियासी हजार मात्र) की लागत पर प्रश्नगत परियोजना को पुनरीक्षित किया गया है |

1- **यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।**

2- **इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट** http://shasanadesh.up.gov.in **से सत्यापित की जा सकती है ।**

http://shasanadesh.up.gov.in

एतद्द्वारा उपर्युक्त शासनादेशों से स्वीकृत धनराशि को समायोजित करते हुए देय अवशेष धनराशि रू० 270.22 लाख (रूपये दो करोड़ सत्तर लाख बाईस हजार मात्र) की धनराशि निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

(धनराशि रूपए लाख में)

कार्य	अनुमोदित लागत	पुनरीक्षित लागत (GST सहित)	अवमुक्त धनराशि	व्यय धनराशि	अवशेष देय धनराशि	अवमुक्त धनराशि
राजकीय पॉलीटेक्निक, उमेदपुर भुता, फरीदपुर, बरेली	1797.52	1977.86	1707.64	1707.64	270.22	270.22

1- उक्त सन्दर्भित शासनादेश दिनांक 17.02.2020, दिनांक 04.03.2021, दिनांक 03.08.2021, दिनांक 04.07.2022 एवं दिनांक 14.11.2023 की शर्तें यथावत लागू रहेंगी।

2- प्रश्नगत कार्य हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि नियमानुसार संबंधित जनपद के जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी द्वारा जिलाधिकारी की अनुमति से कोषागार से आहरित कर कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करा दी जायेगी।

3- परियोजना के लिये स्वीकृत धनराशि ब्याज अर्जित करने के उद्देश्य से आहरित कर बैंक/डाकघर में नहीं रखी जायेगी। प्रश्नगत धनराशि आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी और तदनुसार कार्यदायी संस्था को धनराशि अवमुक्त की जायेगी।

4- कार्यो को मानकों के अनुरूप पूर्ण गुणवत्ता के साथ स्वीकृत लागत में ही पूर्ण किया जायेगा और लागत वृद्धि अनुमन्य नहीं होगी|

5- स्वीकृत धनराशि का आहरण कर सदुपयोग सुनिश्चिमत किया जायेगा और यदि कोई धनराशि अप्रयुक्त/अनाहरित बचती है तो उसे 31 मार्च, 2024 से पूर्व समर्पित किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि का पूरा लेखा-जोखा 31 मार्च, 2024 तक नियोजन अनुभाग-4 को प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

6- राजकोष से आहरित धनराशि का त्रैमासिक आधार पर मिलान महालेखाकार उ0प्र0 में अनुरक्षित लेखों से अनिवार्यत: कराया जायेगा तथा वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात 3 माह में अर्थात 30 जून, 2024 तक स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष हुए व्यय का महालेखाकार द्वारा सत्यापित विवरण नियोजन विभाग को प्रेषित किया जायेगा।

7- वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए स्वीकृत आय-व्ययक के सापेक्ष उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय करते समय वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या- 2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023 दिनांक 17 मार्च, 2023 एवं यथासंशोधित कार्यालय-ज्ञाप संख्या- 10/2023/बी-

---

1- **यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।**

2- **इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट** http://shasanadesh.up.gov.in **से सत्यापित की जा सकती है ।**

http://shasanadesh.up.gov.in

1-602/दस-2023-231/2023 दिनांक 19.09.2023 में उल्लिखित शर्तो एवं निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

3- इस संबंध में होने वाला व्यय धनराशि रू० 2,70,22,000/- (रूपये दो करोड़ सत्तर लाख बाईस हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 040 लेखाशीर्ष 4202021040302 राजकीय पॉलीटेक्निक भवन निर्माण के चालू कार्य मानक मद 24- वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023 दिनांक 17 मार्च, 2023 एवं यथासंशोधित कार्यालय-ज्ञाप संख्या- 10/2023/बी-1-602/दस-2023-231/2023 दिनांक 19.09.2023 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,
अरुणेश कुमार द्विवेदी
संयुक्त सचिव ।

संख्या- 898/2023/2857(1)/35-4-2023/35-4099/108/2021 तददिनांक |

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2- महालेखाकार, लेखापरीक्षा, प्रथम एवं द्वितीय, प्रयागराज।
3- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, प्राविधिक शिक्षा विभाग ।
4- अपर मुख्य सचिव, वित्त एवं वित्त आयुक्त, उ0प्र0शासन।
5- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0 ।
6- निजी सचिव, मा. मुख्यमंत्री जी ।
7- मण्डलायुक्त, बरेली मण्डल।
8- निदेशक, प्राविधिक शिक्षा विभाग, कानपुर, उत्तर प्रदेश |
9- निदेशक, उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद, नीलगिरी काम्पलेक्स, लखनऊ |
10- मुख्य विकास अधिकारी, बरेली ।
11- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, बरेली ।
12- संयुक्त निदेशक, स्टेट ट्रांसफार्मेशन कमीशन, नियोजन विभाग |
13- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-5
14- जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, बरेली ।
15- परियोजना प्रबन्धक, निर्माण इकाई, उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद, बरेली ।
16- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
अरुणेश कुमार द्विवेदी
संयुक्त सचिव ।

1- **यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।**

2- **इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट** http://shasanadesh.up.gov.in **से सत्यापित की जा सकती है ।**